15/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से
प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन
तथा अपूरणीय क्षति इन तीनों बिन्दुओं
को प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में
विफल रहे अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल
किया गया पत्रावली फैसल होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 33/2018 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 27/12/17 श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस.)

ुरज्ञान पुत्र मूल्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा
ाज0

(प्रार्थी)

बनाम्

1. सन्तरा पत्नी शिवराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

## प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

**निर्णय** दिनांक : 15/2/24

पस्थित :– श्री कमलेश कुमार सैनी एडवोकेट – प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री वैभव गुरावा एडवोकेट

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी ग्राम डिगो तहसील लालसोट का काश्त पेशा व्यक्ति है। जिसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नं0 887/326 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट मे स्थित है। उक्त आराजी भूमि पर वर्तमान में भी प्रार्थी की फसल काश्त है तथा उक्त आराजी भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नही

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नं0 886/326 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी भूमियो को प्रार्थना पत्र में आराजी वादग्रस्त भूमिया सम्बोधित किया जा रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 किता 2 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश की जा रही है। प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 887/326 की नक्शासीट मे तरमीम नही हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि खसरा नं0 886/326 के स्थान पर गलत प्रकार से तरमीम करवा ली जिसकी जानकारी प्रार्थी पक्ष को नही रही जबकि खसरा नं0 887/326 की नक्शासीट मे की गई तरमीम की जगह पर प्रार्थी का पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थी की उक्त स्थल पर फसल काश्त हो रही है। प्रार्थी अपनी तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक वर्षो से काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है तथा प्रार्थी पूर्व समय से आज तक उसी जगह काबिज है तथा उक्त जगह से अप्रार्थी संख्या 1 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि की आड में खसरा नं0 326 मे जगह जगह अतिक्रमण भी कर रखा है तथा उसने राजस्व कर्मियो से मिली भगत करके अपनी भूमि की तरमीम प्रार्थी की काबिज जगह पर करवा ली गई। जिसमे राजस्व कर्मियो द्वारा बिना मौका देखे ही बिना किसी प्रकिया के ही प्रार्थी की काबिज जगह पर अप्रार्थी संख्या 1 का कदापि कब्ज नही रहा है न ही वर्तमान मे है अतएव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मियो से मिली भगत करके करवाई गई नक्शासीट मे तरमीम बमुकाबिले प्रार्थी आरंभतः अवैध तथा प्रभाव शुन्य है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नक्शासीट मे करवायी गई तरमीम की जानकारी प्रार्थी को नही रही परन्तु दिनांक 15–10–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर प्रार्थी को चेतावनी देते हुए कहा कि अब की मर्तबा हम इस जगह पर तुम्हे फसल काश्त नही करने देगें यह जगह हमारी है। तब प्रार्थी ने कहा कि यह भूमि मेरी है वर्षो से यही काश्त करता हूँ इसी मे मेरा मकान बोरिंग सब कुछ है तब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को बेजा चेतावनी दी गई कि इस जगह की तरमीम मैने हमारी जमीन की करवा ली है तथा यहां से हट जाओ वरना जबरन बेदखल कर कब्जा करेगें। अप्रार्थी संख्या 1 की

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज०

इसी बेजा चेतावनी से वाद कारण पैदा होकर प्रार्थी को अपने हक व हकूको की रक्षार्थ उक्त प्रार्थना पत्र सेवामे पेश करना लाजिमी आया। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को अपनी एवं अपने परिजनो की अथाह मेहतन व लागत लगाकर समतल, उपजाउ व कृषि योग्य बनाया है जिसमे प्रार्थी के निवास स्थान कृषि संसाधन वृक्ष आदि स्थापित है तथा वर्षो से प्रार्थी इसी जगह पर काश्त करके अपना तथा अपने परिजनो का गुजर बसर करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त जगह से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही रहा है न ही वर्तमान मे है। प्रार्थी माननीय न्यायालय हाजा से सरंक्षण प्राप्त करके वादग्रस्त आराजी भूमि बाबत इस आशय की उद्घोषणा करवाने को अधिकृत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि खसरा नं0 889/326 रकबा 10 बीघा की नक्शासीट मे करवाई गई तरमीम बमुकाबिले प्रार्थी आरंभतः अवैध तथा प्रभावशुन्य है उक्त तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट को मौके पर जाकर प्रार्थी की उपस्थिति मे वास्तविक रकबेनुसार वास्तविक जगह पर पुनः प्रार्थी की भूमि की तरमीम किये जाने हेतू आदेशित फरमाया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि की नक्शासीट मे की गई तरमीम की आड लेकर उक्त भूमि का रहन, बय, हस्तान्तरण नही करे तथा प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की आड लेकर जबरन बेदखल कर फसल नही करे तथा प्रार्थी की फसल प्राकृतिक पैदावार बोंरिग डोल कृषि संसाधनो को किसी भी प्रकार की क्षति व नुकसान कारित नही करे न करावे स्वयं अपने सेवको साथियो परिवारजनो रिश्तेदारो सहित पाबन्द रहे तथा अप्रार्थी संख्या 2 उक्त आराजी भूमि में वर्तमान राजस्व अभिलेख मे बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व अनुमति के किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति कायम रखें एतदर्थ उक्त प्रार्थना पत्र सेवामें प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज करके अप्रार्थीगण की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के ओर से श्री वैभवराज गुरावा एडवोकेट उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई । वकील प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (राज.)

ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र के चरणो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपने जवाब बहस मे निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तरमीम गलत प्रकार से नही बल्कि कब्जेनुसार हल्का पटवारी व गिरदावर की मौजुदगी मे राजस्व एजेन्सी के कर्मचारीयो द्वारा विधिनुसार सही ढंग से की गई है जो विगत 20–25 वर्षो पूर्व ही चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 की तरमीम शुदा खातेदारी आराजी खसरा नं0 886/326 से प्रार्थी का किसी भी प्रकार से संबंध सरोकार वास्ता नही है बल्कि केवल मात्र मिन अप्रार्थी संख्या 1 को हैरान परेशान करने की गर्ज से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यो पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी अपने कलूषित उद्देश्यो की पूर्ति हेतू माननीय न्यायालय को गुमराह करने की चेष्टा कर रहा है क्योकि प्रार्थी को विगत 20–25 वर्षो से मिन अप्रार्थी संख्या 1 की तरमीम की जानकारी रही है जो कि सर्वथा ही कानून के प्रावधानानुसार की गई है एवं उसी जगह मिन अप्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व करने के लिए प्रार्थी द्वारा एक भी ऐसा दस्तावेज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रार्थी को केस प्रथम दृष्टया साबित होता हो तथा यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवाया जा सकता है। और नाही गलत तथ्यो की आड लेकर माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 887/326 रकबा 10 बीघा एवं मिन अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 886/326 रकबा 10 बीघा वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट दोनो पृथक पृथक आराजीयात है तथा मिन अप्रार्थी की आराजी मे प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई सबंध सरोकार वास्ता नही है क्योकि मिन अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त आराजी की तरमीम विधिनुसार विगत 20–25 वर्षो पूर्व से हो रही है जिसकी सीमा की जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से ही रही है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र को तय कराने हेतु तीन बिन्दुओ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षती को देखना है।

मेरी राय मे उक्त तीनो बिन्दुओ पर एक साथ निर्णय किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे विवादित भूमि पर लगभग 20–25 वर्षो पूर्व से आधिपत्य होने का कथन किया है एवं यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी अथाह मेहनत एवं लाखो रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है एवं विवादित भूमि पर आधिपत्य आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी पूर्व मे तरमीम शुदा पृथक पृथक भूमि रही है जिसमे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है । मेरी राय मे प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे अपना कब्जा विवादित भूमि पर होने का कथन जरूर अंकित किया है चुकी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए तीन बिन्दुओ का साबित किया जाना जरूरी है।

1. प्रथम दृष्ट्या केस
2. सुविधा की तुला
3. अपुरणिय क्षति

जहां तक प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का यदि अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो दस्तोवजात प्रस्तुत किये है उनसे भी भली प्रकार यह साबित नही हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि सिवाय चक भूमि है। ऐसी सुरत मे प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को प्रथम दृष्टया साबित नही माना जाता है।

जहां तक सुविधा की तुला का प्रश्न है अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का रिकाडेर्ड खातेदार है यदि अप्रार्थी को मेरे विनम्र मत में अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है तो असुविधा प्रार्थी को नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 को ही होगी इस प्रकार अपूरणीय क्षति का प्रश्न है कि ऐसी क्षति जिसकी भरपाई मूल्य से नही की जाती सकती हो हस्तगत प्रकरण में सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने से प्रथम दृष्ट्या केस दस्तावेजी साक्ष्य से व मौखिक साक्ष्य से तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपुरणिय क्षति का जहां तक प्रश्न है वह भी अप्रार्थी संख्या 1 को ही होने का अंदेशा है। ऐसी स्थित मे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तिनो बिन्दु

...अधिकारी
...(राज०

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपुराणिय क्षति इन तीनो बिन्दुओ को प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने मे विफल रहा है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किया जाना न्यायोचि प्रतित होता है।

## आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से आराजी खसरा नं. 887/326 रकबा 10 बीघा भूमि वाकै ग्राम डिगो तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
लालसोट जिला दौसा (राज०